

भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुधारात्मक स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

डॉ. सीमा कुण्डारा

सह-आचार्य

राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ,

शाहपुरा बाग, जयपुर

परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। भारत की स्वतन्त्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समयानुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को मंजूरी दी गई।

29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुमोदित की गई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। पूर्व इसरो प्रमुख कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरम्भ हो गई।

शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हो सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी कौनसी कमियाँ रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानन्द ने देखा था। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, हालाँकि इसकी सफलता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया का संक्षिप्त परिचय

- भारत की स्वतन्त्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। यह तात्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित की गई थी।
- वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुंच को मजबूत करने और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं (विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों आदि के सन्दर्भ में) को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई जिसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने घोषित किया था।
- वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, जिसके तहत देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई। भारत सरकार द्वारा 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन के निर्माण के पीछे उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जायें, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही एक रूप था इसका लक्ष्य शिक्षा में नवीन परिवर्तन लाना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 के संशोधन के पश्चात)

- इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसरों की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।
- इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' लाना किया।
- इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' (दूरस्थ शिक्षा के लिए) प्रणाली का विस्तार किया।

- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित 'ग्रामीण विश्वविद्यालय' मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया।

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा प्रणाली में रटने की क्षमता को सराहा जाता था ना कि व्यावहारिक ज्ञान को, ऐसे परिदृश्य में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पाठ सीखना छात्रों का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। वे इससे परे सोचने में सक्षम नहीं हैं। छात्रों की संकुचित सोच को बदलने की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुलशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दुसरी ओर डेटा साइंस, कम्प्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्व संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु

विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाने लगे। जिससे शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन या सुधार की आवश्यकता के चलते ही 29 जुलाई 2020 को केन्द्रिय मंत्रीमण्डल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुमोदित की गई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। पूर्व इसरो प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत की तीसरी शिक्षा नीति कह सकते हैं।

- इस शिक्षा नीति को चार भागों में तथा 27 अध्यायों में विभक्त किया गया।
- भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा में 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100 प्रतिशत **GIR** के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जायेगा। (**Medical और Law** की पढाई शामिल नहीं की गई है) नई शिक्षा नीति के आने से पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था परन्तु इस नई राष्ट्रीय

नीति 2020 के आ जाने से 5+3+3+4 के पेटर्न को फॉलो किया जायेगा 5+3+3+4 के फार्मूला :- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए फार्मूले को चार चरणों में बांटा गया है।

- 1 **फाउंडेशन स्टेज**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज में 3 से 5 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया जिसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसके अन्तर्गत छात्रों को भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।
- 2 **प्रीपेटरी स्टेज**— इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। नई शिक्षा नीति के इस स्टेज में छात्रों का संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। वही सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा।
- 3 **मिडिल स्टेज** :- इस स्टेज के भीतर छठवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें छठवीं कक्षा के बच्चों से ही कोडिंग सिखाना शुरू की जाएगा। वही सभी बच्चों को व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ व्यवसाय इंटरनशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।
- 4 **सैकण्डरी स्टेज** :- इस स्टेज में 8 कक्षा से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है इसमें आठवीं से 12वीं कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर बल्कि अपनी मनपसंद के अनुसार अपने विषयों को चुन सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत छात्रों को विषयों को चुनने को लेकर स्वतंत्रता दी गई, छात्र साइंस के विषयों के साथ-साथ आर्ट्स या कॉमर्स के विषय को भी एक साथ पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धान्त

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य

ऐसे उत्पादक लोगो को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण के बेहतर तरीके से योगदान करें।

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढाँचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

मूलभूत सिद्धान्त जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये हैं—

- **हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना**— शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें।
- **बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना** — जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें।
- **लचीलापन** ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच **कोई स्पष्ट अलगाव न हो**, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच-नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सक।

- सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु विषयक (Multidisciplinary) और समग्र शिक्षा का विकास।
- अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई,
- रचनात्मकता और तार्किक सोच तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए
- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरो के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद समानता और न्याय।
- बहु भाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य मे भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन
- जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन
- सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जो, इसके बजाव कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केन्द्र में रखकर शिक्षण हो जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है
- तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर— अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चो के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में
- सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है
- सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना— यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके।

- स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रमों में तालमेल, पारंपरिक बाल्यवस्था देख भाल तथा शिक्षा से
- **शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना**— उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति
- शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा साथ ही साथ स्वायत्तता सुशासन और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा
- **भारतीय जड़ों और गौरव से बंध रहना** और जहाँ प्रासांगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना
- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।
- एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते

विश्व में नागरिक भी भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन –

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः इसके क्रियान्वयन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों का आपस में समन्वय अति आवश्यक है क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण है तथा यह नीति एक व्यापक दृष्टिकोण एवं समग्रता रखती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वित अभी पूर्ण नहीं हुई है इसकी क्रियान्विति अग्रसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित कई राज्यों में सत्र (2021–22) से ही लागू कर दिया गया। उत्तराखण्ड प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बना है, शैक्षिक सत्र 2022–23 से नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई प्रारम्भ हो गई है।

नीतिगत सफलता का आधार –

नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े अध्ययनों से पता चलता है कि नीतिगत विफलताओं से बचने में मजबूत साधन, कार्य प्रणाली और कार्यान्वयन तंत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों के अनुसार किसी नीति की असफलता के चार खतरे हैं:-

- अत्यधिक आशावादी अपेक्षाएं
- बिखरी हुई शासन व्यवस्था में कार्यान्वयन
- नीति निर्धारण में अपर्याप्त सहयोग
- राजनीति चक्र की अनियमितता

ये चार खतरे इतने व्यापक हैं कि सामान्य प्रक्रिया से इसे हल करना एक बड़ी चुनौती होगी।

- यदि सरकार किसी नीति को लागू करने के बारे में गंभीर है तो इसके लिये एक मजबूत नीति समर्थन कार्यक्रम को विकसित करना बहुत आवश्यक है।
- किसी भी नीति की सफलता के लिए उसके कार्यान्वयन की प्रणाली और इस दौरान प्रत्येक बिन्दु पर समस्याओं के समाधान के संदर्भ में एक बेहतर समझ का होना बहुत ही आवश्यक है।

अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की सफलता के लिए उपरोक्त नीतिगत सुफलता के आधार बिन्दुओं का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। साथ ही अन्य क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निदान भी करना जरूरी है।

निष्कर्ष

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 21 वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री डी मशीन, डेटा विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ

(Reference)

- 1 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
- 2 <https://www.drishtias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/implementation-plan-to-help-nep-2020>
- 3 <https://www.drishtias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/new-education-policy>
- 4 <https://ni.m.wikipedia.org/wiki>
- 5 <https://rashtruyashiksha.com/implementation-of-national-education-policy/>